



Form 1

Maintenance of records Form of Continous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)
(See Rule 4)

Continous Khatian

Anchal- सरायकेला Rev P.S- सरायकेला State of- झारखण्ड Police Station- सरायकेला R.T.No 0301 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
32	कांडे कोल , पिता-सिलाई, जाति-	491		0 ऐ	73.5 डि	0 हे	1.45	खतियानी	1 / 136
		491		0 ऐ	73.5 डि	0 हे			
		491		0 ऐ	73.5 डि	0 हे			
		491		0 ऐ	73.5 डि	0 हे			
		491		0 ऐ	73.5 डि	0 हे			
		492		0 ऐ	11.5 डि	0 हे			
		492		0 ऐ	11.5 डि	0 हे			
		492		0 ऐ	11.5 डि	0 हे			
		492		0 ऐ	11.5 डि	0 हे			
		492		0 ऐ	11.5 डि	0 हे			
		493		0 ऐ	8.25 डि	0 हे			
		493		0 ऐ	8.25 डि	0 हे			
		493		0 ऐ	8.25 डि	0 हे			
		493		0 ऐ	8.25 डि	0 हे			
32	सविता सरंगी , पति-हरी शंकर सरंगी , जाति- अज्ञात	493		0 ऐ	8 डि	0 हे	1	MC NO-215/88-89	2 / 99
		493		0 ऐ	8 डि	0 हे			
		493		0 ऐ	8 डि	0 हे			
32	काली चरण महन्ती , पिता-स्व० गोलक बिहारी महन्ती , जाति- ----	491		0 ऐ	7 डि	0 हे	1	MC NO 55/96-97	2 / 136
		492		0 ऐ	5 डि	0 हे			
32	अंगूरवाला महंती , पति-संतोष कुमार महंती , जाति- अज्ञात	491		0 ऐ	11 डि	0 हे	1	MC NO 409/1990-91	5 / 49
32	मीनकेतन प्रधान , पिता-स्व० कलाकार प्रधान , जाति- ----	491		0 ऐ	8 डि	0 हे	1	mc no 179/99-2000	6 / 25
32	श्रीमति पूर्णिमा देवी , पिता-श्री अश्वनी कुमार होता, जाति-	491		0 ऐ	20.5 डि	0 हे	2.18	- ना० मु० स०- 44(7)/1984-85 के आदेशानुसार खाता खोला गया	7 / 100
		491		0 ऐ	20.5 डि	0 हे			

32	KASHINATH NAYAK , पिता-LATE GHONO NAYAK, जाति- भुइयाँ	491		0 ऐ	5 डि	0 हे	7	नामान्तरण मुकदमा संख्या 456/2019 - 2020	9 / 94
		491		0 ऐ	5 डि	0 हे			
		492		0 ऐ	0.5 डि	0 हे			
		492		0 ऐ	0.5 डि	0 हे			
32	GOURI SHANKAR MISHRA , पिता-LATE TARAPADO MISHRA, जाति- ----	491		0 ऐ	0.5 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1019/2019 - 2020	10 / 5
		491		0 ऐ	6 डि	0 हे			
		493		0 ऐ	4.75 डि	0 हे			

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

4/26/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।